झाँसी नगर निगम, झाँसी।

पत्रांक : 257/सदन वि0/न0नि0/2016–17 दिनांक: अप्रैल, 30,2016

विषय : सदन की बैठक दिनांक 30.03.2016 की कार्यवृत्त का प्रेषण।

महोदय/महोदया,

दिनांक 30.03.2016 को सम्पादित सदन की बैठक का कार्यवृत्त आपकी सेवा में सादर संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोक्त् ।

भवदीय

30.4.16

(केशव प्रसाद) सदन प्रभारी

प्रभारी अधिकारी सदन,

झाँसी नगर निगम, झाँसी।

30.4.2016

प्रतिष्ठा में,

श्री/श्रीमती.......................................

मा0 पदेन सदस्य/मा0 नाम निर्दिष्ट पार्षद/पार्षदगण

वार्ड क्रमांक ....

श्री अशोक पलया मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 30 ने कहा कि बड़े बाजार में एक बार निकलने में घण्टों बीत जाते हैं और हमेशा जाम लगा रहता है विभाग द्वारा केवल तीन माह में एक पत्र भेजा गया है स्वीकृत प्रस्तावों पर कार्यवाही किया जाना जरूरी है।

श्री श्री केशव प्रसाद सम्पत्ति अधिकारी ने कहा कि सम्पत्ति विभाग में कर्मचारी नहीं हैं एस.डी.एम, नायब तहसीलदार से सहयोग लेकर इस मीटिंग के बाद इस कार्य पर लग जाऊंगा।

श्री राजबिहारी मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 14 ने कहा कि पूर्व वित्तीय वर्ष 2014–15 में तीन–तीन हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये थे क्या सभी हैडपम्प लग गये हैं तथा उनका पेमेन्ट हो गया है अवगत कराया जाये एवं हैण्डपम्पों की सूची दी जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि आप सूची ले लीजिये जिस जगह पर पानी नहीं निकला है उस जगह पर हैण्डपम्प नहीं लगे हैं इसका आप सत्यापन कर लीजिये।

श्री राजबिहारी मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 14 ने कहा कि विगत 06 माह पहले हमारे वार्ड में बोर हुआ था जिसमें पानी निकलने के बाद आज तक हैण्डपम्प नहीं लगाया है इसकी कई बार शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि हम जांच कर कार्यवाही करेंगे।

श्री पुष्पेन्द्र मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 10 ने कहा कि किन–किन वार्डों की सूची मांगी गयी थी।

श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 48 ने कहा कि यह वित्तीय वर्ष 2014–15 के बजट की बात हो रही है।

नगर आयुक्त ने कहा कि वर्ष 2015–16 में कहीं पर भी हैण्डपम्प नहीं लगाये गये हैं।

श्री भरत यादव उपसभापति सदन हॉल में उपस्थित हुये तथा मंचासीन बैठीं मा0 महापौर, मा0 विधायक/पदेन सदस्य, मा0 सदस्य विधान परिषद/पदेन सदस्य, मा0 नगर आयुक्त, मा0 उपजिलाधिकारी, अपर नगर आयुक्त के बगल में कुर्सी लगाकर बैठ गये। जिस पर श्री पुष्पेन्द्र, श्री संजीव पटैरिया, श्रीमती नीता यादव, श्री दिनेश प्रताप, आदि पार्षद गणों ने उपसभापति को मंच पर जगह दिये जाने पर आपत्ति प्रकट की।

श्रीमती सीमा मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 19 ने कहा कि पूर्व में जिस व्यवस्था के अन्तर्गत उपसभापति को मंच पर बैठाया जाता रहा है उसी के अनुसार ही जगह दी जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि मंच पर जगह दिये जाने का प्रावधान नहीं है केवल परम्परा के अनुसार बैठने की व्यवस्था रही है।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत मा0 विधायक/पदेन सदस्य ने कहा कि आप लोगों ने उपसभापति को चुनकर भेजा है उनका सम्मान होना चाहिये।

श्री महेश गौतम मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 05 ने कहा कि मा0 सदन का मत ले लिया जाये व मा0 सदन की कार्यवाही शुरू करायी जाये।

मा0 महापौर महोदया ने सभाकक्ष में प्रथम बार उपस्थित होने पर नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया।

श्री भरत यादव उपसभापति ने भी गुलदस्ता भेंट कर मा0 एम.एल.सी. महोदया का स्वागत किया। तथा सभाकक्ष में उपस्थित समस्त महिला पार्षदों द्वारा मा0 एम.एल.सी. महोदया को माला पहनाकर स्वागत किया गया। नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त ने भी गुलदस्ता भेंट कर मा0 एम.एल.सी. महोदया का नगर निगम में उपस्थित होने पर हार्दिक स्वागत किया।

इस अवसर पर मा0 एम.एल.सी. महोदया ने सभाकक्ष में उपस्थित सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हुये दिनांक 03.04.2015 को शुभार्शीवादम में आयोजित सम्मान समारोह में उपस्थित रहने के लिए सभी को आमंत्रित किया।

श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

श्री अमित कुमार अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ने कहा कि सभी अवर अभियन्ताओं से महानगर के कुओं की सूची मांगी गयी है कृपया बतायें क्या हुआ?

श्री एम.एल.त्रिपाठी सहायक अभियन्ता ने कहा कि इस प्रकरण पर कई बार चर्चा हो चुकी है कुओं की सफाई के लिए कई बार टेण्डर कराये गये हैं लेकिन कोई लेने नहीं आया। झाँसी महानगर की कई स्वयं सेवी संस्थाओं से भी कुओं की सफाई के लिए अनुरोध किया गया लेकिन कोई हल नहीं निकला क्योंकि झाँसी में लो0नि0वि0 की दरें प्रचलित हैं जो काफी कम हैं।

श्री दिनेश प्रताप सिंह मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 55 ने कहा कि लो0नि0वि0 की शिड्यूल रेट पर कोई टेण्डर नहीं डालेगा क्योंकि दरें बहुत कम हैं।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि शिड्यूल की इन दरों को बढ़वाने के लिए प्रयास किये जाये नगर के प्राचीन ऐतिहासिक कम से कम 60 कुएं साफ हो जायें। जिससे पानी की समस्या हल हो जाये।

श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 48 ने कहा कि सभी 60 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो रहा है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि महानगर के 45 वार्डों में 01.04.2016 से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का काम शुरू करने जा रहे हैं जिसके लिये 05 कम्पनियां प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं अभी सम्मिलित ग्राम सभाओं को छोड़ा गया है क्योंकि सम्मिलित ग्राम सभाओं में अभी भी ग्रामीण संस्कृति मौजूद है। अधिकांश घरों की महिलायें प्रातःकाल अपने–अपने घरों के दरवाजे पर स्वयं सफाई करती हैं।

श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 48 ने कहा कि यूजर चार्ज रू 40/– से हटाकर रू 20/– किया जायें क्योंकि झाँसी में गरीब तबके के लोग ज्यादा रहते हैं।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि शासन स्तर पर यूजर चार्ज रू 40/– से रू 80/– करने की बात चल रही है जो नगर निगम यूजर चार्ज देने को तैयार है उनको ही शासन से धन उपलब्ध कराया जायेगा।

श्री अशोक पलया मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 30 ने कहा कि कितने वार्डों में यूजर चार्ज की वसूली की जा रही है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि जिन–जिन वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य किया जा रहा है वहां पर अधिकांशतः लोग यूजर चार्ज का भुगतान कर रहे हैं।

श्री दिनेश प्रताप मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 55 ने कहा कि इस कार्य के लिए मॉनीटरिंग की भी जरूरत है।

मा0 महापौर जी ने कहा कि मा0 पार्षद गणों की मॉनीटरिंग हेतु एक समिति गठित की जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि 04 छोटी फॉगिंग मशीने मरम्मत कराकर जोनल सेनेटरी ऑफीसर को दे दी गयी हैं।

श्री अशोक पलया मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 30 ने कहा कि गैरिज में कार्यरत कार्यवाहक वाहन चालकों के लाईसेन्स प्रस्तुत करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ था।

श्री हरगोविन्द प्रसाद सहायक अभियन्ता प्रभारी गैरिज ने कहा कि गैरिज में कार्यरत कार्यवाहक वाहन चालकों के लाईसेन्स समय–समय पर चेक करता हूँ।

श्री विकास "रिन्टू" मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 44 ने कहा कि प्रतिबन्धित इलाइट चौराहे पर होर्डिंग्स की भरमार है। होर्डिंग प्रभारी का इस ओर ध्यान नहीं है क्या?

श्री अनिल सूद होर्डिंग प्रभारी ने कहा कि महानगर में 14 होर्डिंग कम्पनियां विज्ञापन का कार्य कर रही हैं जिन पर बकाया होने पर नोटिस जारी किये गये हैं।

श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

गयी है। जब शासन से उन पदों पर भर्तियां होंगी तो सभी वार्डों में समान रूप से सफाई कर्मचारी दिये जायेंगे।

श्रीमती वन्दना यादव मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 06 ने कहा कि नगर निगम झाँसी के लाइट विभाग में कर्मचारियों को कितना वेतन दिया जा रहा है उनके काम में खतरा है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि शासन के शिड्यूल रेट के हिसाब से रू 175/- प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जा रहा है। नगर निगम लखनऊ के मार्ग प्रकाश विभाग में संविदा कर्मचारियों को रू 250/- प्रतिदिन प्रस्ताव स्वीकृत है उसके अनुसार यदि मा0 सदन सहमत हो तो शासन को स्वीकृति हेतु भेज देते हैं।

श्रीमती सुशीला दुबे मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 51 ने कहा कि उनके वार्ड में स्थित पार्क में वाटर कूलर लगाये जाने का टेण्डर निकाला था मा0 महापौर जी ने उस पर रोक लगा दी।

श्री खुर्शीद मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 33 ने कहा कि भगवन्तपुरा में नाला बनाये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था लेकिन जानकारी में आया है कि उस पर मा0 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों ने रोक लगा दी है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुयी थी कि वार्ड नं0 23 भगवन्तपुरा स्थित उक्त नाला नगर निगम का बॉर्डर है वहां पर कोई आबादी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 15 ने कहा कि सभी वार्डों में दो-दो वाटर कूलर लगाये जाना चाहिये।

श्री विकास "रिन्टू" मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 44 ने कहा कि यदि सर्वसम्मति से वाटर कूलर लगाये जाने का प्रस्ताव पास है तो स्वीकार कर लीजिये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि सभी वार्डों में एक-एक वाटर कूलर स्वीकृत कर लेते हैं।

श्री अशोक पलया मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 30 ने कहा कि एक वाटर कूलर के साथ एक सुरक्षा गार्ड भी साथ में सुरक्षा के लिये चाहिये क्योंकि सार्वजनिक स्थलों पर लगे हैण्ड पोस्ट (नलों की टोंटी) असामाजिक तत्व निकाल ले जातें हैं अतः उनकी सुरक्षा भी जरूरी है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि इस विषय पर बाद में विचार किया जायेगा।

श्री राजबिहारी मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 14 ने कहा कि नगर निगम द्वारा प्रतिवर्ष गरमी के मौसम में राहगीरों के लिये शीतल पेय जल की व्यवस्था हेतु जगह-जगह प्याऊ स्थापित की जाती है।

श्री सुरेश गोपी मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 09 ने कहा कि सार्वजनिक प्याऊ खाली पड़ी रहती है। उसकी प्रापर मॉनीटरिंग भी होना जरूरी है।

श्री आनन्द साहू मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 12 ने कहा कि महानगर में पोर्टा केबिन के नाम पर कबाड़ियों से किराये के रूप में हजारों रूपये की वसूली की जा रही है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि महानगर में कबाड़ी नगर निगम की जमीन पर व्यवसाय कर रहे हैं पोर्टा केबिन में जगह नगर निगम के हिसाब से दी जायेगी बिगड़ी व्यवस्था को सुधारा जा रहा है।

श्री राकेश सोलंकी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंन्ट ने कहा कि शासन से स्वीकृत योजना के अन्तर्गत 30 पोर्टा केबिन नगर निगम की जमीन पर स्थापित किये जाना है प्रत्येक दो वार्ड पर एक पोर्टा केबिन 5×5 मी0 की जगह दी जायेगी।

श्री राजबिहारी मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 14 ने कहा कि पर स्क्वायर मी0 क्या चार्ज देना होगा।

श्री राकेश सोलंकी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंन्ट ने कहा कि अलग-अलग साईज के हिसाब से अलग-अलग क्षेत्र के लिए सिक्योरिटी राशि का प्राविधान है परन्तु स्थानीय कबाड़ी/रेगपिकर सिक्योरिटी राशि देने में सक्षम नहीं है।

श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

झाँसी नगर निगम, झाँसी
पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015–16
एक नजर में

धनराशि लाख रूपये में

मद का नाम	वास्तविक आय वर्ष 2014–15	मूल बजट वर्ष 2015–16	वास्तविक आय 30.09. 2015 (2015–16)	पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015–16	मा0 कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत	नगर निगम द्वारा स्वीकृत
प्रारम्भिक अवशेष	3080.12	1005.16	3629.48	1005.16	1005.16	
आय	10349.58	16667.15	6439.40	22212.15	22212.15	
योग	13429.70	17672.31	10068.88	23217.31	23217.31	
व्यय	9800.22	16608.45	4578.90	20153.45	20153.45	
बचत	3629.48	1063.86	5489.98	3063.86	3063.86	
योग	13429.7	17672.31	10068.88	23217.31	23217.31	

<u>निर्णय</u> :– पुनरीक्षित बजट वित्तीय वर्ष 2015–2016 सर्वसम्मति से स्वीकृत।

<u>प्रस्ताव संख्या 04</u> :- नगर निगम मूल बजट वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रस्ताव पर विचार।

<u>विचार विमर्श</u>:– लेखाधिकारी श्री राजकिशोर ने नगर निगम मूल बजट वित्तीय वर्ष 2015–2016 सदन के पटल पर स्वीकृति हेतु विस्तार से पढ़कर सुनाया।

झाँसी नगर निगम, झाँसी
मूल बजट वर्ष 2016–17
एक नजर में

धनराशि लाख रूपये में

मद का नाम	वास्तविक वर्ष 2014–15	पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015–16	वास्तविक 31 जनवरी (2016)	मूल वर्ष 2016–17	कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत	नगर निगम द्वारा स्वीकृत
प्रारम्भिक अवशेष	3080.12	1005.16	3003.89	2738.86	2738.86	
आय	9723.98	22212.15	12104.98	22421.15	22421.15	
योग	12804.10	23217.31	15108.87	25160.01	25160.01	
व्यय	9800.21	20478.45	8851.26	22032.1	22032.1	
बचत	3003.89	2738.86	6257.61	3127.91	3127.91	
योग	12804.10	23217.31	15108.87	25160.01	25160.01	

उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 का मूल बजट मा0 कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव सं0 03 दिनांक 15.03.2016 द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है अतः वित्तीय वर्ष 2016–17 का मूल बजट को मा0 सदन के समक्ष सादर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Kiran
श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

6. मद संख्या 20613 शमशानघाट/कब्रितान/मरम्मत रखरखाव हेतु रू 100.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
7. भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराये जाने का निर्देश है इस कारण मद संख्या 20617 डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन हेतु रू 250.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
8. मद सं0 24105 भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत रू 800.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
9. मद सं0 24107 स्वच्छ भारत मिशन योजना के अन्तर्गत रू 1000.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
10. मद सं0 2420101 सड़क नाली निर्माण/रख–रखाव हेतु बजट हेतु रू 4800.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
11. मद सं0 2420104 मार्ग प्रकाश सामग्री की आपूर्ति जिसमें मार्ग प्रकाश से सम्बन्धित समस्त प्रकार की आपूर्ति सम्मिलित है हेतु रू 550.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।
12. मद सं0 2420109 इस मद में शहर के समस्त वार्डों में नये विद्युत पोल/हाईमास्क लाईट, पार्कों में लाईट व्यवस्था एवं हाईटेंशन लाइन शिफ्टिंग हेतु रू 550.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

<u>निर्णय :-</u> मूल बजट वित्तीय वर्ष 2016–17 सर्वसम्मति से स्वीकृत।

<u>प्रस्ताव संख्या 05</u> :- करगुवां जी में श्री कपूर सिंह यादव के मकान के पास से मन्दिर होते हुए श्री अरविन्द वर्मा एडवोकेट के बीच पहाड़ी के नीचे स्थित भूमि पर पार्क हेतु बाउण्डरीवाल का निर्माण कार्य के प्रस्ताव पर विचार।

<u>विचार विमर्श</u>:– श्री दिनेश सिंह मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 54 ने कहा कि उक्त जगह पर पार्क के निर्माण हेतु बाउण्डरी वॉल बनाये जाने हेतु आपत्ति है अतः इस प्रस्ताव पर बाद में विचार–विमर्श किया जाना उचित होगा।

<u>निर्णय</u> :– प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं हो सका।

श्री सुरेश गोपी मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 09 ने कहा कि वार्ड नं0 09 खुशीपुरा में शिक्षा भवन के पीछे नजूल भूमि पर सड़क का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लेकिन मा0 कार्यकारिणी समिति की बैठक में प्रस्ताव पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शिक्षा भवन के पीछे वर्ष 1972 से कुछ लोग निवास कर रहे हैं जिनका मा0 न्यायालय में दायर बात पर नगर निगम से विवाद चल रहा था न्यायालय से बाद में नगर निगम के द्वारा प्रॉपर पैरवी ने होने के कारण माह नवम्बर 2015 में नगर निगम केस हार चुकी है तथा वहां के 15 लोगों को पट्टा देने के लिए लगभग रू 65,000/– की धनराशि भी जमा करा चुके हैं। वह नगर निगम को गृहकर भी अदा कर रहे हैं। इन अनाधिकृत कब्जों को प्रभावी बाजारू मूल्य पर पट्टे देकर विनियमित किया जाये। वहां पर सड़क एवं नाली नहीं है अतः सड़क एवं नाली का निर्माण कराया जाये। खुशीपुरा से लगे वार्डों क्रमशः 09, 35 व 14 के व्यक्ति शौंच क्रिया हेतु खुले में जाते हैं यदि एक 10 शीटर शौंचालय का निर्माण नगर निगम द्वारा करा दिया जाये तो इन वार्डों में निवासरत

Kiran
(अमता किरन राजू बुकसेलर)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

श्री विकास "रिन्टू" मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 44 ने कहा कि सत्यम गार्डन से निकले नाले को भी बन्द कर दिया गया है।

श्री वीरेन्द्र यादव मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 15 ने कहा कि बिजौली में भी यही समस्या है।

श्री विनोद सोनी अवर अभियन्ता ने कहा कि सत्यम गार्डन ग्वालियर रोड पर 15 मी0 रोड छोड़ा है सम्पत्ति विभाग से एन.ओ.सी. जारी की गयी है।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि हम मौके पर जाकर देखेगें सजरे/खतौनी में नाले की कमी होगी।

श्री के.पी.सिंह मानचित्राकार ने कहा कि खतौनी में नाले की आकृति बनी है।

श्री विकास "रिन्टू" मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 44 ने कहा कि नाले पर डुपलेक्स बनाकर रू 40–40 लाख में फ्लैट बेंचे जा रहे हैं।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि नगर निगम में रेवेन्यू स्टाफ की कमी है प्रशासन से नगर निगम की जमीन की नाप कराने हेतु रेवेन्यू स्टाफ मिलता नहीं है। यदि मा0 आयुक्त झाँसी मण्डल झाँसी तहसील में कार्यरत कानूनगो एवं क्षेत्रीय लेखपाल को नगर निगम में अटैच कर दें तो शहर के अतिक्रमण समस्या से छुटकारा मिल जायेगा। आप लोग एक प्रतिनिधि मण्डल बनाकर मा0 आयुक्त महोदय से मिल लीजिये। ऐसी जानकारी हुयी है कि राजस्व परिषद से लेखपाल के पदों की स्वीकृति मिल चुकी है शीघ्र ही नगर निगम को लेखपाल मिल जायेगें।

श्री प्रतीक झा मा0 नामित पार्षद ने कहा कि वार्ड क्रमांक 52 नगर निगम परिसर में कुछ लोग आवास कर रहे हैं जिनकी महिलाओं एवं पुरूषों को शौंच के लिये बाहर जाना पड़ता है नगर निगम उनकी व्यवस्था कराये। जिससे उनकी खुले में शौंच करने की समस्या का समाधान हो।

श्रीमती किरन कुशवाहा मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 41 ने कहा कि अन्नपूर्णा कॉलोनी में स्कूल के पास पार्क के लिए जगह है वहां पर पार्क का निर्माण कराया जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि श्री के.पी.सिंह जी मौके पर निरीक्षण कर पार्क का प्रस्ताव बना दीजिये।

श्री कन्हैया कपूर मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 48 ने कहा कि सीपरी बाजार में पहाड़ी पर हॉकी के जादूगर दद्दा ध्यानचन्द्र की मूर्ति लगी है उस स्थल को रमणीक बनाया जाये जिससे कि झाँसी में आने वाले सैलानी उस ओर आकर्षित हों तथा उसे अवलोकन करने जायें।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि आप वहां पर क्या प्लानिंग चाह रहे हैं वहां पर दो पहाड़ों के बीच में एक इम्पोरियम खोल दिया जाये। झाँसी बुन्देलखण्ड की विरासत है उस जगह पर एक म्यूज़ियम बना दिया जाये दोनो जगह फूड प्लाजा बना दिया जाये तथा उसका टिकट भी निर्धारित कर दिया जाये।

श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

श्री रोहन सिंह कार्यवाहक अपर नगर आयुक्त ने कहा कि पहले गृहकर का निर्धारण रेट बेस सिस्टम पर आधारित था अब ऐरिया बेस सिस्टम पर आधारित है। शासनादेश के अनुसार प्रत्येक भवन स्वामी को अपने भवन का पुनः कर निर्धारण 04 वर्ष में एक बार करने का प्राविधान है। झाँसी नगर निगम में वित्तीय वर्ष 2002–03 के पश्चात् अभी तक गृहकर का पुनः निर्धारण नहीं हुआ है। उक्त शासनादेश के अनुसार भवन स्वामियों को अपने–अपने भवन का स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत गृहकर निर्धारण करने के वास्ते समाचार पत्रों के माध्यम से तीन बार एक–एक माह के उपरान्त विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशन कराकर मौका दिया गया लेकिन भवन स्वामियों द्वारा इस ओर कोई रूचि न लिये जाने पर डोर टू डोर भवनों के सर्वे की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। डोर टू डोर सर्वे पूरा हो जाने पर भवन स्वामियों को गृहकर का बिल प्रेषित कर आपत्ति हेतु एक माह का समय दिया जायेगा जिस पर जो भवन स्वामी आपत्ति करेगा उस आपत्ति की तिथिवार कैम्प लगाकर सुनवायी की जायेगी सुनवायी के उपरान्त जो गृहकर निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जायेगा उसे डिमाण्ड रजिस्टर में दर्ज कर डिमाण्ड कायम करके ऑन लाइन कर दिया जायेगा।

श्री दिनेश प्रताप मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 55 ने कहा कि आप गृहकर निर्धारण की प्रक्रिया ऑन लाइन कीजिये।

श्री रोहन सिंह कार्यवाहक अपर नगर आयुक्त ने कहा कि 40 वार्डों का गृहकर निर्धारण का डोर टू डोर सर्वे पूर्ण हो चुका है सॉफ्टवेयर तैयार होने पर उक्त सर्वे को ऑनलाइन कर दिया जायेगा।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि नगर निगम में मात्र तीन बिल कलेक्टरों की टीम कार्यरत है बाकी अन्य कार्यवाहक बिल कलेक्टरों द्वारा गृहकर की वसूली करायी जा रही है आप ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों का चयन करिये जिनकी निष्ठा नगर निगम में कार्य करने की हो उनसे गृहकर की वसूली का कार्य कराया जा सकता है शासन में भी बैठक में इस पर चर्चा हुयी है। शासन से निर्देश मिलते ही आउटसोर्स पर कर्मचारी रख लिये जायेगें।

श्री अशोक पलया मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 30 ने कहा कि गृहकर सर्वे में जानबूझकर समय लिया गया है।

श्री दिनेश प्रताप मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 55 ने कहा कि वर्तमान वार्षिक गृहकर में 10 से 15 प्रतिशत की वृद्धि करके गृहकर लगाइये तथा जनरल सर्वे को रद्द किया जाये।

नगर आयुक्त जी ने कहा कि झाँसी नगर के गरीब एवं छोटे तबके के लोग इस सिस्टम से मारे जायेंगे। क्योंकि 2000 वर्ग फुट का गृहकर 500 वर्ग फुट की अपेक्षा बहुत कम है। जिससे छोटे भवन स्वामी के गृहकर में वृद्धि ज्यादा होगी।

श्री रोहन सिंह कार्यवाहक अपर नगर आयुक्त ने कहा कि प्रतिशत वाला सिस्टम शासनादेश के विरूद्ध है इस सिस्टम को लागू करने में अधिनियम एवं शासनादेश का उल्लंघन है।

Kemra
श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

विचार विमर्शः– नगर आयुक्त जी ने कहा कि शहरों में परिवारो की बुनियादी सेवायें (जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन) मुहैया कराने के उद्देश्य से शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना आरम्भ की गयी है, जिसकी अवधि वित्तीय वर्ष 2015–16 से लेकर वित्तीय वर्ष 2019–20 पांच वर्ष तक नियत है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रो पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

1. **जलापूर्ति :**
   - मौजूदा जलापूर्ति में वृद्धि करने जल शोधन संयंत्रो और सभी जगहो पर मीटर लगाने सहित वर्षा जल आपूर्ति प्रणाली।
   - शोधन संयंत्रो सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुर्नस्थापन।
   - विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनः भरण के लिए जलाशायों का पुनरूद्धार।
   - उन क्षेत्रों सहित जिनमें जल की गुणवत्ता सम्बन्धी समस्याऐं है। (उदाहरणार्थ आरसेनिक, फ्लोराइड) दुर्गम क्षेत्रों, पहाडी और तटीय शहरों के लिए विशेष जलापूर्ति प्रबन्धन।
2. **सीवरेज :**
   - मौजूदा सीवरेज प्रणालियां और सीवेज शोधन संयंत्रो के संवर्द्धन सहित विकेन्द्रीकरण नेटवर्कवद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणालियां।
   - पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन संयंत्रो का पुर्नस्थापन।
   - लाभकारी प्रयोजनो के लिए जल का पुर्नचक्रण और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।
3. **सेफ्टेज :**
   - मल गाद प्रबन्ध कम लागत पर सफाई परिवहन और शोधन।
   - सीवरेज और सेप्टिक टैंको की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी सम्बन्ध वसूली।
4. **वर्षा जल निकासी :**
   - बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्यो से नालों और वर्षा जल नालों का निर्माण और सुधार।
5. **शहरी परिवहन :**
   - अन्तर्देशीय (जल मार्ग पोत/खाड़ी अवसंरचना) को छोडकर के लिए जलयान और बस।
   - गैर–मोटरीकृत परिवहन **जैसे** – साईकिलों के लिए फुटपाथ/पथ, पटरी, फुट ओबर ब्रिज।
   - द्रुत बस परिवहन प्रणाली (बी0आर0टी0एस0)
6. **हरित स्थल और पार्क :**
   - बच्चा हितैशी घटकों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल और पार्कों का निर्माण करना।

अमृत शहरों के लिए किये जाने वाले 11 सुधार (रिफॉम्र्स) निम्नानुसार हैः–

1. ई–शासन
2. म्यूनिसिपल संवर्ग की संविधान और व्यावसायिकता,
3. दोहरी प्रविष्टि लेखा में वृद्धि

Kesma
श्रीमती किरन राजू बुंकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

प्रस्ताव संख्या 15 :- वार्ड नं0 18 गुदरी में स्थित पार्क का नाम मारूती नन्दन पार्क किये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :– प्रस्ताव सं0 11 लगायत प्रस्ताव सं0 15 तक सर्वसम्मति से स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या 16 :- मिनर्वा चौराहे पर स्थित गुलाम गौस खां पार्क में गुलाम गौस खां की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श:– नगर आयुक्त जी ने कहा कि गुलाम गौस खां यूथ ब्रिगेड द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई के प्रमुख तोपची गुलाम गौस खां की प्रतिमा मिनर्वा चौराहे पर बने गुलाम गौस खां चौक में जहां तोप स्थापित है पर उनकी प्रतिमा संस्था के व्यय से स्थापित करने का पत्र देकर मा0 सदन से अनुमति चाही है।

श्री अशोक पलया मा0 पार्षद वार्ड क्रमांक 30 ने कहा कि झाँसी नगर के समस्त चौराहों के नामकरण हैं सभी उन महापुरूषों का सम्मान करते हैं यदि मिनर्वा चौराहे पर गुलाम गौस खां की प्रतिमा लगायी जाती है तो अन्य चौराहों पर भी महापुरूषों के नाम पर मूर्ति लगायी जाये।

निर्णय :– सर्वसम्मति से स्वीकृत इस प्रतिबन्ध के साथ कि प्रतिमा की स्थापना संस्था अपने स्त्रोतों से करेगी।

प्रस्ताव संख्या 17:- वार्ड नं0 39 आवास–विकास कॉलोनी (नन्दनपुरा) में स्थित जन समुदाय केन्द्र को आवास–विकास से नगर निगम को हस्तान्तरण कर उसकी मरम्मत कराकर वार्ड के गरीब परिवारों को सुविधा दिलाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

निर्णय :– सर्वसम्मति से स्वीकृत।

अन्य प्रस्ताव :–

अन्य प्रस्ताव सं0 01:– उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग–4 शासनादेश सं0–3062/नौ–4–15–05ज/11टी0सी0–1 दिनांक 01.12.2015 के प्रस्ताव पर विचार।

विचार विमर्श:–नगर आयुक्त जी ने कहा कि उ0प्र0 पालिका केन्द्रियत अभियन्त्रण (सिविल सेवा के) विभिन्न श्रेणियों के अभियन्ताओं के पदों के सृजन के सम्बन्ध में विचार एवं पद सृजन के फलस्वरूप आने वाले वित्तीय व्यय भार को वहन करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ मा0 सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय :– सर्वसम्मति से स्वीकृत।

अन्य प्रस्ताव सं0 02:– नगरीय अवस्थापना विकास निधि शासनादेश के अन्तर्गत प्रस्तावित निम्नलिखित कार्यों के कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

Verma

श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

<u>विचार विमर्शः</u>— नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित निर्णय के अनुपालन में आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रित करने की कार्यवाही की जानी है तथा प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जाना है।

<u>निर्णय</u> :— सर्वसम्मति से स्वीकृत नगर आयुक्त को अग्रिम कार्यवाही हेतु अधिकृत किया गया।

<u>अन्य प्रस्ताव सं0 07</u>:— वार्ड नं0 32 स्थित दो पार्कों में लाइट तथा म्यूजिक सिस्टम लगाये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

<u>अन्य प्रस्ताव सं0 08</u>:— वार्ड नं0 52 में निम्नलिखित निर्माण कार्य कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

(अ):— स्पीड हाउस के सामने लक्ष्मी गार्डन तक नाले का निर्माण एवं साइड पटरी का कार्य।

(ब):— हरभजन साहू के घर से रामजी खटीक के घर तक आर.सी.सी नाले का निर्माण कार्य।

(स):— प्रेम यादव के घर से इलाहाबाद बैंक रोड पोस्ट ऑफिस के सामने रोड तक एपैक्स व नाली निर्माण कार्य।

(द):— प्रदीप साहू के घर के सामने से चंचल यादव के घर तक नाली साइड पटरी व डामर रोड का कार्य।

(य):— इदरीस खांन के घर से राधेश्याम के घर तक आर.सी.सी. नाली का कार्य।

(र):— मा0 नगर आयुक्त के बंगले के सामने डा0 राजपूत के मकान से मुश्ली यादव के मकान तक डामर रोड, साइड पटरी व नाली का निर्माण कार्य।

(ल):— फील्ड हॉस्टल से मुख्य अभियन्ता के मकान तक डामर रोड, साइड पटरी व नाली का निर्माण कार्य।

<u>अन्य प्रस्ताव सं0 09</u>:— वार्ड नं0 54 में निम्नलिखित निर्माण कार्य कराये जाने के प्रस्ताव पर विचार।

(अ):— वार्ड नं0 54 ग्वालियर रोड से आयुर्वेदिक चिकित्सालय के अन्दर पानी की टंकी तक पुनः नाला निर्माण कार्य। (आगणन धनांक रू 2285200/—)

(ब):— शिवा कॉन्वेन्ट स्कूल से ब्रजधाम के मकान तक क्षतिग्रस्त आर.सी.सी को हटाकर रंगीन सी.सी.ब्लॉक द्वारा सड़क एवं नाली सुदृढ़ीकरण का कार्य। (आगणन धनांक रू 2650600.00)

(स):— मिशन गेट से म0प्र0 रोडवेज डिपो तक साइड पटरी बनाने एवं पुनः नाली का निर्माण कार्य। (आगणन धनांक रू 2333600.00)

(द):— जल संस्थान ऑफिस से रामाधार पाठक के मकान तक सलग्न गली रंगी रबर मोल्ड एपैक्स आर.सी.सी. नाली व स्लेप कवर व समस्त क्षतिग्रस्त सी.सी को हटाकर निर्माण कार्य।

श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी

<u>अन्य प्रस्ताव सं0 19</u>:– वार्ड नं0 13 गड़ियागांव में पंचायत भवन से शिव परिवार के नाला तक नाली एवं एपैक्स फर्श निर्माण के प्रस्ताव पर विचार। (आगणन धनांक रू 2088500.00)

<u>अन्य प्रस्ताव सं0 20</u>:– वार्ड नं0 01 हंसारी दाऊनगर में पिन्टू कुशवाहा से चौरसिया के मकान तक नाली एवं एपैक्स फर्श निर्माण के प्रस्ताव पर विचार। (पुनरीक्षित आगणन धनांक रू 2109500.00 दर के अनुसार धनांक रू 1647519.00)

<u>अन्य प्रस्ताव सं0 21</u>:– गड़िया फाटक से नगरा हाट का मैदान होते हुये मेन रोड तक सड़क निर्माण कार्य तथा दोनो तरफ एक–एक मीटर सी.सी. इण्टरलॉकिंग पटरी निर्माण के प्रस्ताव पर विचार। (अनुमानित धनांक रू 1973100.00)

<u>अन्य प्रस्ताव सं0 22</u>:– वार्ड नं0 24 में 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव लहर की देवी पुलिया के पास श्री महेन्द्र बधौरिया के मकान से आगे की ओर आर.सी.सी नाला निर्माण के स्थान पर संशोधित प्रस्ताव रौनक ऑटो सेन्टर से इलाहाबाद बैंक, रोज ब्यूटी पार्लर व राजघाट कॉलोनी रोड से होकर जे.एम.के की ओर आर.सी.सी नाला निर्माण के प्रस्ताव पर विचार। (स्वीकृत धनांक रू 3412337.50)

<u>निर्णय</u> :– प्रस्ताव सं0 14 लगायत प्रस्ताव सं0 22 जांचोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृत।

अतः मा0 महापौर जी ने बैठक में उपस्थित श्रीमती रमा निरंजन मा0 सदस्य विधान परिषद, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत मा0 विधायक बबीना, मा0 पार्षदगणों/नामित पार्षदों, अधिकारी/कर्मचारी एवं उपस्थित पत्रकार बन्धुओं का हार्दिक अभिनन्दन करते हुए मा0 सदन की कार्यवाही की समाप्ति की घोषणा की।

(श्रीमती किरन राजू बुकसेलर)
महापौर
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

श्रीमती किरन राजू बुकसेलर
झाँसी नगर निगम, झाँसी